भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 534
उत्तर देने की तारीख: 03.02.2026

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना

534. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए चयनित एक सौ छह उम्मीदवारों में से केवल 40 उम्मीदवारों को ही निधि की कमी के कारण अनंतिम पुरस्कार पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो निधि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं और सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए संवितरण की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या चल रहे मूल्यांकन (16वें चक्र) में वजीफे की पर्याप्तता, प्रशासनिक विलंब और छात्रों के फीडबैक तंत्र की समीक्षा शामिल है; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत स्लॉट की संख्या बढ़ाने और समय-सीमा में सुधार करने के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन वर्ष 2025-26 के पहले दौर में चयनित सभी एक सौ छह उम्मीदवारों को अनंतिम अवार्ड लेटर जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ): अनुसूचित जातियों आदि और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। योजना की समीक्षा, जिसमें वित्तीय सहायता का घटक भी शामिल है, एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित हितधारकों के परामर्श से संशोधन किया जाता है।

*****